

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

(समक्ष:-डी०सी०थपलियाल)

प्र०क्र० 01/10 विद्युत

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मौ परगना

गोहद जिला भिण्ड म०प्र०.....अभियोगी

बनाम

जगमोहन पुत्र रामसिंह जाटव उम्र 30 वर्ष निवासी

जितवारसिंह का पुरा थाना मौ जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्त

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह

आरोपी सहित श्री सुरेश गुर्जर अधि०

// निर्णय //

(आज दिनांक 11-02-2016 को घोषित किया गया)

1- आरोपी का विचारण धारा 136 विद्युत अधिनियम 2003 के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है उस पर आरोप है कि दिनांक 28/4/09 के 2 ए०एम० बजे (रात्रि) ग्राम जितवार सिंह का पुरा में विद्युत विभाग के लगे ट्रान्सफार्मर से बिना विभाग की पूर्व अनुमति के तेल निकाल कर चोरी कर विभाग को क्षति कारित की गई ।

2- परिवादी का परिवादपत्र संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी बीरेन्द्र सिंह ने थाने पर आकर एक लिखित आवेदन इस आशय का पेश किया कि वह ग्राम रसनोल का रहने वाला है दिनांक 29-5-09 की बात है रात्रि 2 बजे जगमोहन जाटव पुत्र रामसिंह जाटव निवासी जितवार सिंह का पुरा का 63 के०वी० के ट्रान्सफार्मर से तेल निकाल रहा था जिसे सुरेन्द्र सिंह भदौरिया ने अपने ट्यूबबेल जाते समय टार्च की रोशनी से देखा है तथा हडबडाहट में जगमोहन खम्बे से गिर गया था जिसके पैर में भी चोट आयी थी । गांव के सुरेन्द्र सिंह भदौरिया व सरमनसिंह शाक्य ने पकड़ लिया था उनसे छूटकर भाग गया है । ट्रान्सफार्मर से करीबन 10 लीटर तेल निकाला है । उक्त आशय की लिखित रिपोर्ट किये जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा प्रकरण में जप्ती की कार्यवाही की गयी । संपूर्ण अनुसंधान उपरान्त प्रकरण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

3- आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 136 विद्युत अधिनियम 2003 के तहत आरोप

विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये गये आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई ।

4- आरोपी का धारा 313 द0प्र0सं0 के तहत आरोपी परीक्षण किया गया । आरोपी परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोश होना तथा झूठा फंसाया जाना एवं बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया ।

5- आरोपी को विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय है कि:-

क्या दिनांक 28/4/09 के 2 ए0एम0 बजे (रात्रि) ग्राम जितवार सिंह का पुर में विद्युत विभाग के लगे ट्रांसफार्मर से बिना विभाग की पूर्व अनुमति के तेल निकाल कर चोरी कर विभाग को क्षति कारित की ?

::- निष्कर्ष के आधार:-

6- अभियोजन की और से बीरेन्द्र सिंह अ0सा01, सुरेन्द्र सिंह अ0सा02, सरमन अ0सा03, आर0एस0सैंगर अ0सा04, अनिल अ0सा05, यतेन्द्र सिंह अ0सा06, आर0बी0सिंह अ0सा07 के कथन कराये गये हैं ।

7- घटना के आवेदक/फरियादी बीरेन्द्र सिंह अ0सा01 ने अपने साक्ष्य कथन में आरोपी पहचानना स्वीकार करते हुये बताया है कि वह अपने ट्यूबबेल पर जा रहा था । रास्ते में रखी सरकारी डी0पी0 में से तेल टपक रहा था वह विद्युत कार्यालय गया तो उन्होंने थाने जाने को कहा थाने में उसने आवेदनपत्र पेश किया था । आवेदनपत्र प्र0पी0 1 पेश किया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्र0पी0 3 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । साक्षी के द्वारा अभियोजन प्रकरण का समुचित रूप से समर्थन न करने के कारण अभियोजन के द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गये हैं ।

8- इस प्रकार फरियादी बीरेन्द्र सिंह के कथन में कहीं भी आरोपी के घटना दिनांक को घटनास्थल पर मौजूद होना या उसके द्वारा विद्युत ट्रांसफार्मर से तेल की चोरी करने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं आयी है । उक्त साक्षी जो कि घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना बताया गया है एवं जिसने कि आरोपी को खम्बे से गिरते हुये भी देखा जाना बताया गया है । इस प्रकार साक्षी के द्वारा घटना में आरोपी के संलग्न होने के संबंध में कोई बात नहीं बतायी है । प्रतिपरीक्षण में साक्षी के द्वारा यह बताया गया है कि उसने थाने में केवल डी0पी0 से तेल निकालने वाली बात बतायी थी ।

9- उपरोक्त घटना के संबंध में अभियोजन साक्षी सुरेन्द्र सिंह अ0सा02, सरमन सिंह

अ0सा03 जो कि घटना के अन्य चक्षुदर्शी साक्षी होना बताये गये हैं । उक्त साक्षीगण ने भी केवल यह बताया है कि रास्ते में रखी डी0पी0 में से तेल निकल रहा था । उक्त साक्षीगण के द्वारा भी आरोपी की घटनास्थल पर मौजूदगी और उसके द्वारा चोरी की घटना कारित करने के संबंध में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है । उक्त साक्षीगण को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गये हैं किन्तु सूचक प्रश्न के दौरान भी उनके द्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन या पुष्टि करने वाला कोई तथ्य नहीं आया है ।

10— इस प्रकार घटना के संबंध में घटना में बताये गये चक्षुदर्शी साक्षी के कथन के आधार पर अभियोजन प्रकरण की एवं आरोपी के घटना में संलग्न होने की कोई संपुष्टि नहीं होती । अब प्रकरण में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य पर विचार किया जाना उचित होगा ।

11— अभियोजन के द्वारा आरोपी की घटना में संलग्न होने के संबंध में घटना के पश्चात् आरोपी के आधिपत्य से दस लीटर विद्युत तेल और एक चार फीट की लेजम व एक चाबी की जप्ती होना बताया है । इस संबंध में प्रकरण के विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक आर0बी0सिंह अ0सा07 ने अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि दिनांक 11-6-09 को आरोपी जगमोहन को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 बनाया था । आरोपी जगमोहन से पूछताछ की गयी थी तो उसने विद्युत ट्रांसफार्मर के बोल्ट खोलकर लेजम से एक काली केन में लगभग दस लीटर तेल निकालकर अपने मकान में छिपाकर रखा होना और उसे बरामद करा देना बताया था । जिस पर उन्होंने मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0 10 लेखबद्ध किया था जिस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं । उक्त दिनांक को ही आरोपी के बताये अनुसार व पेश करने पर एक काली केन प्लास्टिक की जिसमें दस लीटर तेल एक लेजम चार फीट की और एक चाबी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0 8 बनाया था जिस पर सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं ।

12— आरोपी जगमोहन के आधिपत्य से घटना के पश्चात् उपरोक्त बतायी हुयी वस्तुओं की जप्ती का जहां तक प्रश्न है । इस संबंध में जप्ती के साक्षीगण अनिल अ0सा05, यतेन्द्र सिंह अ0सा06 के कथन अभियोजन के द्वारा कराये गये हैं । अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा अभियोजन प्रकरण का आरोपी से कोई जप्ती होने के संबंध में कोई भी समर्थन नहीं किया है । इस प्रकार जप्ती की कार्यवाही किसी भी स्वतंत्र साक्षी के कथन से संपुष्टि नहीं होती । यह भी उल्लेखनीय है कि मेमोरेण्डम प्र0पी0 10 जिसके आधार पर कि प्र0पी0 8 की जप्ती की कार्यवाही होना बतायी गयी है । उक्त मेमोरेण्डम के संबंध में विवेचना अधिकारी के अतिरिक्त अन्य साक्षियों के कथन अभियोजन के द्वारा नहीं कराये गये हैं । साक्षी आर0बी0सिंह अ0सा07 जिन्होंने प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के सहित प्रकरण में विवेचना की संपूर्ण कार्यवाही की गयी है । मात्र उक्त विवेचना अधिकारी के कथन के आधार

पर मेमोरेण्डम एवं जप्ती की संपूर्ण कार्यवाही प्रमाणित मानना सुरक्षित नहीं है । निश्चित तौर से प्रकरण में जप्ती के समय स्वतंत्र साक्षी मौजूद थे और स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा जप्ती की कार्यवाही का कोई समर्थन नहीं किया जा रहा है । इस परिप्रेक्ष्य में जप्ती की कार्यवाही को संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता ।

13- इस प्रकार प्रकरण में आयी हुयी संपूर्ण अभियोजन साक्ष्य के आधार पर जबकि घटना के चक्षूदर्शी साक्षियों के द्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया गया है । प्रकरण में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य के आधार पर भी आरोपी के अपराध में संलिप्तता युक्ति युक्त रूप से प्रमाणित नहीं हुयी है ।

14- अतः अभियोजन प्रकरण संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं पाया जाता ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
विशेष न्यायाधीश विधुत
गोहद जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
विशेष न्यायाधीश विधुत
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)